न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 53/2024

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।
बनाम

1. श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री विनोद कुमार सैनी, मैसर्स सैनी मेडिकल एजेन्सी, जी–85, इन्दिरा नगर, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।
2. श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री गोविन्द राम शर्मा, मैसर्स **G.R Medical, C-305, Basment near Health Hospital, Mahesh Nagar, Jaipur.**
3. **M/S Corona Ecogen, Godown No. 8-13 A.K. Esatat, Near Police Station, Aslali, Ahmedabad-382427**
4. **M/S SKNRD Biotech, E-55 G.I.D.C. Electronic Esatate Sector-26, Gandhinagar-382024**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थितिः–
1. आवेदक की ओर से ....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक संख्या 1 व 2 की ओर से ....अनावेदक स्वयं।
3. अनावेदक संख्या 3 व 4 की ओर से ....प्रतिनिधि श्री जयप्रकाश शर्मा।

–निर्णय– दिनांक : 05/8/24

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार है:– कि आवेदक श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 06.04.2023 को मैसर्स सैनी मेडिकल एजेन्सी, जी–85 इन्दिरा नगर, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री विनोद कुमार सैनी उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर एक रैंक में मूल पैक Protico(Protin Power) Corona Eepgen आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ Protico(Protin Power) Corona Eepgen में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया

पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ Protico(Protin Power) Corona Eepgen के मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक संख्या 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर तथा अनावेदक संख्या 3 व 4 ने जरिये प्रतिनिधि श्री जयप्रकाश शर्मा अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि उसकी झुन्झुनू में सैनी मेडिकल एजेन्सी के नाम से मेडिकल एजेन्सी है। जहां से खाद्य पदार्थ Protico(Protin Power) Corona Eepgen का सैम्पल लिया गया था जो मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) पाया गया है। अनावेदक संख्या 1 ने कथन किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ अनावेदक संख्या 2 G.R Medical, C-305, Basment near Health Hospital, Mahesh Nagar, Jaipur से जरिये पक्के बिल खरीदा था। खाद्य पदार्थ Protico(Protin Power) Corona Eepgen के मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) पाये जाने पर वह जुर्माना भरने के लिए तैयार है।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि उसकी G.R Medical, C-305, Basment near Health Hospital, Mahesh Nagar, Jaipur के नाम से मेडिकल एजेन्सी है। जहां से उसने खाद्य पदार्थ Protico(Protin Power) Corona Eepgen का अनावेदक संख्या 2 को जरिये पक्के बिल बेचान किया था। अनावेदक संख्या 1 की एजेन्सी से उक्त खाद्य पदार्थ का सैम्पल लिया गया था जो मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) पाया गया है। अनावेदक संख्या 2 ने कथन किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ अनावेदक संख्या 3 M/S Corona Ecogen, Godown No. 8-13 A.K. Esatat, Near Police Station, Aslali, Ahmedabad से जरिये पक्के बिल खरीदा था। खाद्य पदार्थ Protico(Protin Power) Corona Eepgen के मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) पाये जाने पर वह जुर्माना भरने के लिए तैयार है।

अनावेदक संख्या 3 व 4 ने अपनी–अपनी फर्म के लैटर पैड पर अनावेदक संख्या 2 श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री गोविन्द राम शर्मा, मैसर्स G.R Medical, C-305, Basment near Health Hospital, Mahesh Nagar, Jaipur को प्रकरण में जवाब प्रस्तुत

करने हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। दोनों फर्मो की ओर से श्री जयप्रकाश शर्मा ने कथन किया कि खाद्य पदार्थ Protico(Protin Power) Corona Eepgen के मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) पाये जाने पर वे जुर्माना भरने के लिए तैयार है।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 **एल.एस./1361/एक्ट/2023/2463 दिनांक 28.06.2023** के अनुसार खाद्य पदार्थ Protico(Protin Power) Corona Eepgen मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है।

चूँकि अनावेदक संख्या 1 श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री विनोद कुमार सैनी, मैसर्स सैनी मेडिकल एजेन्सी, जी–85, इन्दिरा नगर, झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनू द्वारा अनावेदक संख्या 2 से उक्त खाद्य पदार्थ Protico(Protin Power) Corona Eepgen जरिये पक्के बिल खरीदा था तथा अनावेदक संख्या 2 श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री गोविन्द राम शर्मा, मैसर्स G.R Medical, C-305, Basment near Health Hospital, Mahesh Nagar, Jaipur ने उक्त खाद्य पदार्थ अनावेदक संख्या 3 से जरिये पक्के बिल खरीदा था। अतः प्रकरण में अनावेदक संख्या 1 व 2 को पूर्णतया दोषी नही माना जा सकता है। लेकिन अनावेदक संख्या 1 व 2 दोनों ने उक्त खाद्य पदार्थ Protico(Protin Power) Corona Eepgen का बेचान किया है तथा उससे होने वाले लाभ में हिस्सेदार है। अतः अनावेदक संख्या 1 श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री विनोद कुमार सैनी, मैसर्स सैनी मेडिकल एजेन्सी, जी–85, इन्दिरा नगर, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू व अनावेदक संख्या 2 श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री गोविन्द राम शर्मा, मैसर्स G.R Medical, C-305, Basment near Health Hospital, Mahesh Nagar, Jaipur दोनों को प्रकरण में खाद्य पदार्थ Protico(Protin Power) Corona Eepgen मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री कैलाश कुमार पुत्र श्री लादूराम कुमावत, मैसर्स एमकेजीएल पिसाई केन्द्र, सीकर रोड़ चिराणा, नवलगढ, जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 15,000–15,000/–अक्षरे पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है।

चूँकि अनावेदक संख्या 3 M/S Corona Ecogen, Godown No. 8-13 A.K. Esatat, Near Police Station, Aslali, Ahmedabad-382427 तथा अनावेदक संख्या 4 M/S SKNRD Biotech, E-55 G.I.D.C. Electronic Esatate Sector-26, Gandhinagar-382024 निर्माता एवं विपणन फर्मे है तथा उक्त खाद्य पदार्थ को तैयार एवं सप्लाई करती है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ Protico(Protin Power) Corona Eepgen मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) पाये जाने की स्थिति में

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 3 M/S Corona Ecogen, Godown No. 8-13 A.K. Esatat, Near Police Station, Aslali, Ahmedabad-382427 तथा अनावेदक संख्या 4 M/S SKNRD Biotech, E-55 G.I.D.C. Electronic Esatate Sector-26, Gandhinagar-382024 को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 1,00,000–1,00,000/–अक्षरे एक–एक लाख रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है।

उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।